दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 1)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल के समक्ष

याचिकाकर्ता - दीपक सिंह

बनाम

प्रत्यर्थी - हरियाणा राज्य और अन्य

2022 का सीडब्ल्यूपी नंबर 3483

22 दिसंबर, 2022

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - एनसीसी 'बी' कोर्स करने के लिए आवंटित 02 अंक देने और हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए रिट याचिका - आवेदन - सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थी को आयोग द्वारा 02 अंक देने से इनकार करना अन्यायपूर्ण और इस प्रकार अस्थिर है - याचिकाकर्ता इन 02 अंकों के अनुदान का हकदार है - चूंकि इन अंकों को जोड़ने के बाद उसका स्कोर 65.35 अंक हो जाएगा जो 63.55 से अधिक है । याचिकाकर्ता द्वारा अन्य सभी निर्धारित आवश्यकताओं

को पूरा करने के अधीन, उत्तरदाताओं को मौजूदा रिक्तियों में से किसी के खिलाफ हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है - इसलिए, याचिकाकर्ता की नियुक्ति काल्पनिक रूप से उस समय से संबंधित होगी जब व्यक्ति उससे योग्यता में कम हो, चयन में 'काम के बदले वेतन नहीं' के सिद्धांत पर नियुक्त किया गया था और वह अपनी सैद्धांतिक नियुक्ति की तारीख से लेकर उसकी वास्तविक नियुक्ति की तारीख तक किसी भी वेतन का हकदार नहीं था।

यह माना गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून याचिकाकर्ता को सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने के लिए 02 अंकों से इनकार करना अन्यायपूर्ण और इस प्रकार अस्थिर पाया गया है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को इन 02 अंकों के अनुदान का हकदार माना जाता है। चूंकि इन अंकों को जोड़ने के बाद उसका स्कोर 65.35 अंक हो जाएगा जो 63.55 अंकों से अधिक है जो उस श्रेणी में चयनित और नियुक्त अंतिम व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए हैं, जिसके तहत याचिकाकर्ता ने भी

आवेदन किया था, याचिकाकर्ता द्वारा अन्य सभी निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन, प्रतिवादी को हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, याचिकाकर्ता की नियुक्ति काल्पनिक रूप से उस तारीख से संबंधित होगी जब विचाराधीन चयन में उससे कम योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर वह अपनी काल्पनिक तिथि से वास्तविक नियुक्ति की तिथि तक किसी भी वेतन का हकदार नहीं होगा।

(अनुच्छेद 21)

याचिकाकर्ता की ओर से वकील एपीएस संधू

शरद अग्रवाल, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा।

न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 4)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

(1) मौजूदा याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (संक्षेप में - आयोग) को निर्देश जारी करने की मांग की है कि उसे एनसीसी 'बी' कोर्स

(2) **(संक्षेप में - कोर्स) पास करने के लिए आवंटित 02 अंक दिए जाएं और उसके बाद हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाए।**

(2) दिनांक 19.07.2015 के विज्ञापन संख्या 8/2015 के माध्यम से आयोग ने 5,000 पुरुष कांस्टेबलों (सामान्य ड्यूटी) की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विज्ञापन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 06.10.2015 थी और आवेदन 07.09.2015 से 06.10.2015 तक दी गई वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते थे। विज्ञापन में आगे कहा गया है कि कोई भी ऑफ़लाइन आवेदन पत्र या डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रति स्वीकार्य नहीं होगी। आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के समय उम्मीदवार द्वारा लाए जाने वाले दस्तावेजों का भी विवरण दिया गया था।

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 5)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

(3) याचिकाकर्ता ने 12.09.2015 को दी गई वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया। अपने आवेदन में, अन्य बातों के अलावा, उन्होंने इस तथ्य का खुलासा किया कि उन्होंने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और इस प्रकार उसी के महत्व का दावा किया।

(4) योग्य होने के नाते, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर आयोग द्वारा विचार किया गया था। निर्धारित लिखित और शारीरिक परीक्षण से गुज़रने के बाद उन्हें 15.06.2017 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष, याचिकाकर्ता ने दिनांक 02.12.2015 को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसे दिखाया गया कि उसने कोर्स में उत्तीर्ण किया है । हालांकि, प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया गया था क्योंकि इसे याचिकाकर्ता के आवेदन के साथ अपलोड नहीं किया गया था और क्योंकि इसमें एक तारीख थी जो कट ऑफ तारीख से परे थी। अंतिम परिणाम की घोषणा पर, याचिकाकर्ता ने कुल 100 अंकों में से 63.35 अंक प्राप्त किए। उन्हें नियुक्ति की पेशकश नहीं की गई क्योंकि याचिकाकर्ता ने जिस श्रेणी में आवेदन किया था, उस श्रेणी की चयन सूची में जगह बनाने वाले अंतिम व्यक्ति ने 63.55 अंक हासिल किए थे । चूंकि

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 6)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

याचिकाकर्ता को कोर्स पूरा करने के लिए निर्धारित 02 अंक नहीं दिए गए थे इसलिए उन्होंने आयोग के समक्ष दावा करते हुए एक प्रतिवेदन दायर किया। हालांकि, जब उन्हें अपने इस अभ्यावेदन का कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने उपरोक्त राहत के लिए तत्काल याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आयोग ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कोर्स के लिए इस आधार पर महत्व देने से इनकार कर दिया है कि याचिकाकर्ता को उक्त कोर्स उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उसके आवेदन पत्र के साथ अपलोड नहीं किया गया था और इस कारण से भी कि ऐसा प्रमाण पत्र कट ऑफ तारीख के बाद दिनांकित था; आयोग द्वारा उठाए गए दोनों आधारों पर कोई आधार नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन के माध्यम से कोर्स पूरा करने के लिए महत्व का दावा किया था, जिसे समय पर अपलोड किया गया था; विज्ञापन के अनुसार, आवेदन पत्र के साथ कोर्स पूरा करने के लिए प्रमाण पत्र अपलोड करने की कोई

आवश्यकता नहीं थी और रिकॉर्ड पर अकाट्य प्रमाण था कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में कट ऑफ तारीख से बहुत पहले कोर्स किया था।

(6) विद्वान राज्य वकील, जो आयोग की ओर से भी पेश हुए, उन्होंने याचिकाकर्ता के अनुरोध का इस आधार पर विरोध किया कि याचिकाकर्ता ने कोर्स उत्तीर्ण किया था, यह दिखाने वाला प्रमाण पत्र दिनांक 02.12.2015 का था और चूंकि ऐसा प्रमाण पत्र कट ऑफ तारीख से परे था और विज्ञापन के संदर्भ में याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र के साथ अपलोड नहीं किया गया था। इसे उचित रूप से नजरअंदाज किया गया था।

(7) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन भी किया है।

(8) आयोग दो आधारों पर कोर्स पूरा करने के लिए निर्धारित याचिकाकर्ता को 02 अंक देने से इनकार करने का औचित्य साबित करना चाहता है। पहला, क्योंकि उसने अपने आवेदन के साथ उक्त कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने का कोई प्रमाण पत्र

या प्रमाण अपलोड नहीं किया था और दूसरा, इस कारण से कि याचिकाकर्ता द्वारा साक्षात्कार के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्र / प्रमाण दिनांक 02.12.2015 का था और चूंकि यह विज्ञापन के संदर्भ में कट ऑफ तारीख से परे था, इसे अनदेखा करने की आवश्यकता थी।

विज्ञापन के संबंधित खंड निम्नानुसार हैं: -

विज्ञापन सं. 08/2015 प्रकाशन की तिथि: 19/07/2015

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 06/10/2015

शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 09/10/2015

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट यानि www.hssc.gov.in का उपयोग करके पदों की निम्नलिखित श्रेणियों की सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन 07.09.2015 से 06.10.2015 तक शाम 5.00 बजे तक भरा जा सकता है, इसके बाद वेबसाइट लिंक बंद कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 9)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अग्रिम रूप से ऑनलाइन आवेदन करें। आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति सत्यापन/ जांच-सह-साक्षात्कार के समय लाई जानी चाहिए। कोई ऑफ़लाइन आवेदन पत्र या डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रति कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। योग्यता की शर्तें और अन्य दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के संबंध में निर्धारित किया जाएगा जिसे विज्ञापन में दी गई अंतिम तिथि यानी 06.10.2015 भी कहा जाता है।

XXXX XXXXXXXXXX XXXX

<u>आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज</u>

1) आवश्यक योग्यताओं की स्कैन की गई प्रति अर्थात मैट्रिक, जन्म तिथि और डिप्लोमा/डिग्री आदि की मार्कशीट दर्शाने वाली ।

(ii) संबंधित ज़िला सैनिक बोर्ड द्वारा विधिवत जारी डीईएसएम उम्मीदवारों के मामले में वैध पात्रता प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति।

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 10)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

(iii) समर्थ प्राधिकारी द्वारा जारी बीसीए/बीसीबी/एससी/एसबीसी/ईबीपीजी प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।

(iv) समर्थ प्राधिकारी द्वारा जारी बीसीए/बीसीबी/एससी/एसबीसी/ईबीपीजी/ईएसएम/डीईएसएम/डीएफएफ के मामले में हरियाणा अधिवास प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति।

(v) आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति (वांछनीय)।

(vi) उन उम्मीदवारों के मामले में ई-चालान की प्रति जिन्होंने पहले आवेदन किया है।

(vii) उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कैन की गई तस्वीरें।

(viii) उम्मीदवार के स्कैन किए गए हस्ताक्षर।

<u>साक्षात्कार/ मौखिकी के समय लाए जाने वाले दस्तावेज</u>

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 11)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

i) ऑनलाइन आवेदनों में उल्लिखित शैक्षिक योग्यता और अन्य दस्तावेजों के सभी मूल प्रमाण पत्र / दस्तावेज / प्रशंसापत्र और इन सभी प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों का एक सेट।

ii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित नवीनतम स्टाम्प आकार की चिपकाई गई तस्वीर के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति और आवेदन पत्र ।

(iii) पूर्व में जमा किए गए शुल्क का मूल प्रमाण अर्थात ट्रेजरी चालान/संबंधित कोषागार द्वारा जारी क्रेडिट प्रमाण पत्र आदि।

(9) विज्ञापन के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार 07.09.2015 से 06.10.2015 तक दी गई वेबसाइट पर अपने आवेदन पत्र अपलोड कर सकते हैं और उनकी योग्यता / पात्रता शर्तों के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के संबंध में निर्धारित किया जाना था जो 06.10.2015 था।

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 12)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

(10) जिन दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना आवश्यक था, उन्हें भी विज्ञापन में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था। ये दस्तावेज आवश्यक योग्यता की स्कैन की गई प्रति थे; भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के आश्रितों के मामले में वैध पात्रता प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति; बीसीए/बीसीजी/एससी/एसबीसी/ईबीपीजी सर्टिफिकेट की स्कैन की गई कॉपी; बीसीए/बीसीबी/एससी/एसबीसी/ईबीपीजी/ईएसएम/डीईएसएम/डीएफएफ उम्मीदवारों के मामले में हरियाणा अधिवास प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी; आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति (वांछनीय); ई-चालान की प्रति (उन उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने पहले आवेदन किया था); उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कैन किए गए फोटो और उम्मीदवार के स्कैन किए गए हस्ताक्षर।

(11) विज्ञापन में यह भी प्रावधान किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित शैक्षिक योग्यता के सभी मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज/प्रशंसापत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ इन सभी प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों का एक सेट, ऑनलाइन

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 13)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति और कोषागार में जमा किए गए पूर्व शुल्क का मूल प्रमाण, यदि कोई हो, उम्मीदवार को अपने साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के समय लाना आवश्यक था।

(12) उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवेदन पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें कई कॉलम हैं जिनके माध्यम से इच्छुक उम्मीदवार से प्रासंगिक जानकारी मांगी गई थी, जिनमें से एक प्रश्न के रूप में था कि क्या उम्मीदवार ने एनसीसी कोर्स में से कोई भी उत्तीर्ण किया था।

(13) विज्ञापन के उपर्युक्त उद्धृत अंशों के साथ-साथ आवेदन पत्र को भी पढ़ने से यह अथक निष्कर्ष निकलता है कि अपने आवेदन में आकांक्षी उम्मीदवार को केवल उस जानकारी को प्रकट करने की आवश्यकता थी जो उससे प्राप्त करने के लिए मांगी गई थी और ऐसी जानकारी जो तत्काल मामले के लिए प्रासंगिक है वह यह थी कि क्या उसने एनसीसी कोर्स में से कोई भी किया था। यदि इस तरह के प्रश्न का उत्तर सकारात्मक था तो उक्त कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के प्रमाण को आवेदन के

साथ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस तरह के प्रमाण पत्र का विज्ञापन में दिए गए दस्तावेजों की सूची में उल्लेख नहीं है जिन्हें उम्मीदवार के आवेदन के साथ अपलोड करना आवश्यक था।

(14) जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता ने कट ऑफ तारीख से काफी पहले अपना आवेदन अपलोड किया था, जिसके माध्यम से उसने कोर्स पास करने के लिए वेटेज का दावा किया था। 29.07.2015 को उक्त कोर्स उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रमाणित परिणाम पत्रक (अनुबंध पी -11) के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया है। इसी कोर्स को पास करने के संबंध में दिनांक 02.12.2015 का एक प्रमाण पत्र भी उन्होंने अपने साक्षात्कार के समय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था। आयोग की ओर से पेश वकील ने याचिकाकर्ता द्वारा 29.07.2015 को कोर्स के सफल समापन या दिनांक 02.12.2015 के प्रमाण पत्र को दर्शाने वाले उपरोक्त परिणाम पत्र की वास्तविकता या सत्यता पर विवाद नहीं किया है और इस प्रकार, इस बात से इनकार नहीं करता है कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में 29.07.2015 को कोर्स पास किया था यानी कट ऑफ तारीख

से बहुत पहले जो 06.10.2015 था। एक बार जब आयोग इस बात पर विवाद नहीं करता है कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में कट ऑफ तारीख से बहुत पहले कोर्स पूरा कर लिया था, तो ऐसे कोर्स के लिए आवंटित अंकों को केवल इसलिए अस्वीकार करना क्योंकि प्रमाण पत्र / प्रमाण कट ऑफ तारीख से परे की तारीख का था, अनुचित होगा, खासकर जब विज्ञापन के संदर्भ में, ऐसे प्रमाण/प्रमाणपत्र को आवेदन के साथ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं थी और इसे केवल साक्षात्कार के समय ही प्रस्तुत करना आवश्यक था, जो याचिकाकर्ता ने किया।

(15) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोर्स का परिणाम पत्र (अनुलग्नक पी -11) स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसने 29.07.2015 को सफलतापूर्वक कोर्स पूरा किया था। आयोग भी इस पर विवाद नहीं करता है। इस तथ्य के आलोक में यदि आयोग के रुख को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह वास्तव में याचिकाकर्ता के एनसीसी कोर्स को अमान्य करने के समान होगा। इस मामले की परिस्थितियों में आयोग का एकमात्र बल यह देखने पर होना चाहिए था कि क्या याचिकाकर्ता ने वास्तव में कट ऑफ तिथि से पहले प्रश्नगत

योग्यता हासिल कर ली थी और एक बार ऐसा तथ्य स्थापित हो जाने के बाद याचिकाकर्ता को केवल इसलिए इसके फल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसने इसके अधिग्रहण का प्रमाण प्रस्तुत किया था जो निर्धारित कट ऑफ तारीख के बाद दिनांकित था। जाहिर है, आयोग एक तथ्य को पहचानने और उसके सबूत के लिए जोर देने के बीच भ्रमित हो गया।

(16) मेरे उपरोक्त दृष्टिकोण को चार्ल्स के. स्कारिया और अन्य बनाम डॉ. सी. मैथ्यू और अन्य[1] **में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से समर्थन मिलता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मुद्दे पर विचार कर रहा था जहां एक उम्मीदवार ने डिप्लोमा धारकों के लिए निर्धारित 10% अंक मांगे थे, जिसे आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले प्राप्त करना आवश्यक था, न कि बाद में। उस मामले में उम्मीदवार ने कट ऑफ तारीख से पहले डिप्लोमा हासिल किया लेकिन आवेदन के साथ सबूत पेश नहीं किया। इसलिए, उन्हें अतिरिक्त 10% अंक नहीं दिए गए, जिससे प्रवेश से इनकार कर**

[1] (1980) 2 एस सी सी 752

दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूरी आवश्यकताओं और प्रमाण / प्रमाण के तरीके के बीच अंतर पर विचार किया और राय दी कि जो आवश्यक था वह यह था कि उम्मीदवार ने आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले आवश्यक योग्यता प्राप्त की हो, न कि बाद में और यह प्राथमिक आवश्यकता थी। डिप्लोमा प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना माध्यमिक था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष रूप से यह कहा गया था कि कट ऑफ तारीख से पहले आवश्यक डिप्लोमा करना ज़रूरी था और बाद के चरण में वही योग्यता सहायक थी।

(17) निर्णय के अनुच्छेद 20, 24 और 26 जो प्रासंगिक हैं, नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं: –

20. डिप्लोमा धारकों के लिए 10 अंक जोड़ने में कुछ भी अनुचित या मनमाना नहीं है। लेकिन अतिरिक्त 10 अंक अर्जित करने के लिए, डिप्लोमा कम से कम आवेदन की अंतिम तिथि पर या उससे पहले प्राप्त किया जाना चाहिए, बाद में नहीं। डिप्लोमा प्राप्त करने का प्रमाण इसे प्राप्त करने के तथ्य से अलग है। क्या उम्मीदवार, वास्तव में, यह

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 18)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

प्राथमिक प्रश्न है कि डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि से पहले डिप्लोमा प्राप्त किया है? आवेदन के साथ डिप्लोमा का सबूत पेश करना समझदारी है, लेकिन यह द्वितीयक है। पहले पर तारीख में छूट अवैध है, दूसरे पर ऐसा नहीं है। एक डिप्लोमा के माध्यम से अकादमिक उत्कृष्टता, जिस डिप्लोमा के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, उसके माध्यम से शैक्षणिक उत्कृष्टता को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि प्रमाण बाद में ही प्रस्तुत किया जाता है, फिर भी चयन की सही तारीख से पहले। डिप्लोमा में बल दिया जाता है; इसका प्रमाण डिप्लोमा के अधिकार के तथ्य को पूरा करता है और यह एक स्वतंत्र कारक नहीं है। प्रॉस्पेक्टस कहता है:

(4) (बी): संबंधित विषयों या उप-विशिष्टताओं में एमएस और एमडी, कोर्स के लिए उम्मीदवारों के चयन में डिप्लोमा धारकों को 10%

13. प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र:- सभी मामलों में निम्नलिखित दस्तावेजों की सही प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए: -

XXXX XX XX

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 19)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

(ट) आवेदन के साथ आवश्यक कोई अन्य प्रमाण पत्र।

इस समग्र कथन को औपचारिक रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है। प्रमाण का तरीका प्रश्न में योग्यता के लक्ष्य के लिए तैयार है। यह दोनों को दूरबीन से देखने और समय के अनुसार दोनों को अनिवार्य बनाने के नुस्खे की मौखिक व्याख्या और यथार्थवादी डिकोडिंग के लिए विनाशक है और समय के बिंदु पर दोनों को अनिवार्य बनाता है। दी गई तारीख से पहले डिप्लोमा का होना जरूरी है; जो सहायक है वह योग्यता के प्रमाण का सुरक्षित तरीका है । किसी तथ्य और उसके प्रमाण के बीच भ्रमित होना धुंधली विकृति है। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने की तारीख को अनिवार्य बनाना समझ में आता है लेकिन अगर यह स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है कि योग्यता, संबंधित तारीख से पहले हासिल की गई है, जैसा कि यहां मामला है, तो इस योग्यता कारक को अमान्य करने के लिए क्योंकि सबूत, हालांकि अवर्णनीय है, कुछ दिनों बाद जोड़ा गया था, लेकिन चयन से पहले या प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित

तरीके से नहीं, लेकिन अभी भी ऊपर, प्रक्रिया को हैंडमेड नहीं बल्कि मालिकाना और रूप को सार के अधीन नहीं बल्कि सार से बेहतर बनाना है।

24. यह लोकप्रसिद्ध है कि यह औपचारिक, अनुष्ठानिक, दृष्टिकोण अवास्तविक है और अनजाने में अभ्यास के उद्देश्य के लिए दर्दनाक, अन्यायपूर्ण और विनाशक है। समस्याओं को देखने का यह तरीका प्रशासनिक, न्यायिक और यहां तक कि वैधानिक प्रक्रियाओं को मनुष्य के लिए कानून के व्यापक परिप्रेक्ष्य में अमानवीय बनाता है, न कि आदमी को कानून के लिए। प्रशासन में अधिकांश कठिनाई और उत्पीड़न आवश्यक के बजाय बाहरी पर अधिक जोर देने से उत्पन्न होता है। हमारा मानना □□ □□ सरकार और चयन समिति ने डिप्लोमा रखने को साबित करने के तरीके को निर्देशिका (अनिवार्य नहीं) और डिप्लोमा के वास्तविक कब्जे को अनिवार्य माना है । वास्तविक जीवन में, हम जानते हैं कि डिग्री, फरमान और विलेख की प्रतियां प्राप्त करना, विश्वविद्यालयों से मार्क-लिस्ट जैसे अन्य प्रमाणित दस्तावेजों की बात नहीं करना, अदालतों से जमानत के आदेश और सार्वजनिक कार्यालयों से क्यों सरकारी आदेश

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 21)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

तक नहीं बोलना कितना निराशाजनक है। इस निराशाजनक विलंब को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान मामले में दो चरणों से दरकिनार कर दिया गया था। सरकार ने चयन समिति को सूचित किया कि भले ही उन्हें आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ही अंकों का प्रमाण मिला हो, लेकिन चयन की तारीख से पहले उन पर ध्यान दिया जा सकता है और दूसरी बात विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार ने आधिकारिक तौर पर सूचित किया कि कौन से उम्मीदवार डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्ण हुए थे। चयन समिति ने किसी भी अनिवार्य नियम का उल्लंघन नहीं किया और न ही इन उपायों को स्वीकार करके और उन पर कार्रवाई करके मनमाने ढंग से कार्य किया। अगर प्रक्रिया के बारे में कुछ भी संदेहजनक, संदिग्ध या अनुचित होता या आधिकारिक अभ्यास में कोई दुर्भावनापूर्ण कदम होता तो हम विचलन को कभी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन एक प्रॉस्पेक्टस लिखित प्रमाण नहीं है और सामान्य ज्ञान उसमें दिशानिर्देशों की व्याख्या करने और उन्हें लागू करने के लिए प्रतिकूल नहीं है। एक बार जब यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है, तो विशेष अंकों को जोड़ना अंकों द्वारा मापी गई दक्षता के लिए बुनियादी न्याय था।

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 22)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

26. फिर भी, एक गड़बड़ी है। 10 अतिरिक्त अंकों के लिए पात्र डिप्लोमा धारक कौन हैं? केवल वे ही, जिनके पास कम से कम प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक डिप्लोमा है । बाद में डिप्लोमा का अधिग्रहण उसे बाद में अर्हता प्राप्त कर सकता है, इस वर्ष नहीं। अन्यथा, डेटलाइन का कोई मतलब नहीं है। तो, संक्षिप्त सवाल यह है कि एक उम्मीदवार डिप्लोमा प्राप्त करने का दावा कब कर सकता है? जब उसने वह सब कुछ किया है जो उसे करना है और इसके परिणाम को आधिकारिक तौर पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है। डिग्री या डिप्लोमा के लिए एक परीक्षार्थी को अपनी परीक्षा (लिखित, मौखिक या प्रैक्टिकल) को पूरा करना होगा, इससे पहले कि वह चयन समिति या अदालत को बता सके कि उसने अपना हिस्सा किया है। यहां तक कि यह भी पर्याप्त नहीं है। यदि उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, तो उसे डिग्री के शीर्षक के साथ श्रेय नहीं दिया जा सकता है यदि परिणाम केवल आवेदन की अंतिम तिथि के बाद लेकिन चयन से पहले घोषित किए जाते हैं। दूसरी शर्त को भी पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, चयन से पहले परिणाम की आधिकारिक सूचना और इसे प्रामाणिक तरीके से समिति के केंद्र में लाया जाना चाहिए। हो सकता है, परीक्षा रद्द कर

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 23)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

दी गई हो या उम्मीदवारों के अंक रोक दिए गए हों। वह डिग्री या डिप्लोमा केवल तभी प्राप्त करता है जब परिणाम आधिकारिक तौर पर ज्ञात होते हैं। तब तक उसकी योग्यता अपरिहार्य है। लेकिन एक बार जब ये घटनाएं हो जाती हैं तो समान अवसर के मूल्यांकन में उनकी योग्यता को ध्यान में रखा जा सकता है, बशर्ते चयन समिति के पास चयन समाप्त होने के समय परिणाम हो। संक्षेप में, स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए आवेदक केवल तभी डिप्लोमा के अतिरिक्त लाभ का अधिकार अर्जित करता है जब (ए) उसने आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले डिप्लोमा परीक्षा पूरी कर ली हो, (बी) परीक्षा का परिणाम भी उस तारीख से पहले प्रकाशित किया जाता है, और (सी) डिप्लोमा कोर्स में उम्मीदवार की सफलता को प्रामाणिक या स्वीकार्य करने के चयन में पूरा होने से पहले चयन समिति के ज्ञान में लाया जाता है। प्रॉस्पेक्टस में पर्चे कि प्रवेश के लिए आवेदन के साथ डिप्लोमा का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा, निर्देशिका है, अनिवार्य नहीं, एक निश्चित मोड, एकमात्र साधन नहीं है। कई विभागों में प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में देरी इतनी आम हो गई है कि यथार्थवाद और न्याय आवेदक को हराने के अधर्मी परिणाम को मना करते हैं, अन्यथा, प्रमाणित प्रति के

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 24)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

अलावा, वह अपने डिप्लोमा के बारे में समिति को संतुष्ट करता है। यहां तक कि चयन समिति द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से तथ्यों के बारे में सूचित करने और उनसे सीधे संचार द्वारा प्रमाण प्राप्त करने का अनुरोध करने में भी कुछ भी अनुचित नहीं है- जब तक कि, निश्चित रूप से, यह सुविधा मनमाने ढंग से केवल कुछ लोगों तक ही सीमित न हो या अन्यथा प्रक्रिया के बारे में कुछ अस्पष्ट या धुंधला स्पर्श न हो।

(18) इसी प्रकार, डॉली छंदा बनाम अध्यक्ष जी और अन्य[2] के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय मांगने वाला मुद्दा यह था कि अपीलकर्ता ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, उड़ीसा द्वारा आयोजित 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद, वह पूर्व सैनिकों के आश्रितों की आरक्षित श्रेणी के तहत संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल हुईं। जेईई-2003 के सूचना विवरणिका के खंड 214 के अंतर्गत उड़ीसा के सशस्त्र/अर्द्धसैनिक बलों के कामकों के बच्चों/विधवाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई थीं जो युद्ध अथवा शांतिकालीन अभियानों के दौरान कार्रवाई में मारे

---

[2] (2779 005) 9 एस सी सी

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 25)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

गए/विकलांग हुए थे । पर परिणाम की घोषणा, अपीलकर्ता को उस श्रेणी में मेरिट नंबर 20 पर स्थान दिया गया था जिसके तहत उसने आवेदन किया था। हालांकि, उनकी काउंसलिंग के समय यह पाया गया कि 29-06-2003 के प्रमाण पत्र में, जिसके माध्यम से उन्होंने आरक्षण का दावा किया था, यह "योग्य नहीं" लिखा गया था, उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी। उसने सेना के अधिकारियों द्वारा जारी एक नया पात्रता प्रमाण पत्र पेश किया, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता के पिता ने तब जिला सैनिक बोर्ड से गलती सुधारने का अनुरोध किया लेकिन आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद एक नया प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया जिसमें प्रमाणित किया गया कि अपीलकर्ता के पिता को सशस्त्र बलों से छुट्टी दे दी गई थी क्योंकि वह स्थायी विकलांगता का सामना कर चुके थे। इस तरह का प्रमाण पत्र काउंसलिंग के अगले दौर में पेश किया गया था, लेकिन उसकी उम्मीदवारी पर इस आधार पर विचार नहीं किया गया था कि उसकी प्रारंभिक काउंसलिंग के समय, वह एक वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सामान्य नियम यह था कि किसी भी कोर्स के लिए आवेदन करते समय किसी व्यक्ति के पास

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 26)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

ऐसे उद्देश्य के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पहले पात्रता योग्यता होनी चाहिए, जब तक कि प्रवेश विवरणिका या आवेदन पत्र या विज्ञापन में कोई अपवाद न हो। आगे यह माना गया कि आरक्षण या वेटेज आदि का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक था और मामले के तथ्यों के आधार पर सबूत जमा करने के मामले में कुछ छूट हो सकती है। कठोर सिद्धांत लागू करना उचित नहीं होगा क्योंकि यह प्रक्रिया के क्षेत्र से संबंधित है और सबूत प्रस्तुत करने से संबंधित नियम के प्रत्येक उल्लंघन के परिणामस्वरूप ज़रूरी नहीं कि उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाए। इस तरह की राय देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को तुरंत राज्य मेडिकल कॉलेजों में से किसी एक में प्रवेश दें और यदि राज्य की सीटें पहले ही भर चुकी हैं, तो उसके लिए एक अतिरिक्त सीट बनाने का निर्देश दिया गया था।

निर्णय का अनुच्छेद 7 जो प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:-

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 27)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

7. सामान्य नियम यह है कि अध्ययन के किसी भी कोर्स या पद के लिए आवेदन करते समय, किसी व्यक्ति को ऐसे उद्देश्य के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को या तो प्रवेश विवरणिका में या आवेदन पत्र में, जैसा भी मामला हो, पात्रता योग्यता होनी चाहिए, जब तक कि इसके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान न हो। इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जा सकती है यानी निर्धारित तिथि तक अपेक्षित पात्रता योग्यता रखने के मामले में। यह आवश्यक प्रमाण पत्र, डिग्री या मार्क-शीट प्रस्तुत करके स्थापित किया जाना है। इसी प्रकार, आरक्षण या भारांक आदि का लाभ उठाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह विशेष योग्यता या प्राप्त अंकों के प्रतिशत या आरक्षण के लाभ के लिए पात्रता के प्रमाण के रूप में दस्तावेज हैं। किसी मामले के तथ्यों के आधार पर, सबूत प्रस्तुत करने के मामले में कुछ छूट दी जा सकती है और किसी भी कठोर सिद्धांत को लागू करना उचित नहीं होगा क्योंकि यह प्रक्रिया के क्षेत्र से संबंधित है। सबूत प्रस्तुत करने से संबंधित नियम के प्रत्येक उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 28)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

(19) इसी आशय का भारतीय खाद्य निगम बनाम रिमझिम[3] मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय है जिसमें दिनांक 14.02.2015 के एक विज्ञापन के माध्यम से अपीलकर्ता ने उच्चतम न्यायालय (इसके बाद एफसीआई के रूप में संदर्भित) के समक्ष सहायक ग्रेड II (हिंदी) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इसमें प्रतिवादी (इसके बाद रिमझिम के रूप में संदर्भित) ने 16.03.2015 को उक्त पद के लिए आवेदन किया और उसके आवेदन को स्वीकार किए जाने के बाद वह 04.10.2015 को आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित हुई। परिणाम की घोषणा पर वह मेरिट में 6 वें स्थान पर रही। तदनुसार, उन्हें 31.12.2015 को एक कॉल लेटर जारी किया गया और उन्हें एफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जो उन्होंने किया। हालांकि, उन्हें नियुक्ति का अंतिम पत्र नहीं मिला और चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची में भी उनका नाम नहीं था। इसलिए, उन्होंने एक प्रतिवेदन दायर किया और इसे अस्वीकार करने पर उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां एकल न्यायाधीश के समक्ष एफसीआई का मामला यह था कि

---

[3] **(2019) 5 एस सी सी 793**

रिमझिम को अंतिम रूप से नहीं चुना गया था क्योंकि उन्होंने यह दिखाने के लिए आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था कि उनके पास अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का एक वर्ष का अनुभव था। एकल न्यायाधीश ने रिमझिम की याचिका खारिज कर दी। व्यथित महसूस करते हुए, रिमझिम ने दिल्ली में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष एक इंट्रा कोर्ट अपील को प्राथमिकता दी, जिसे एफसीआई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी गई।

(20) उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि रिमझिम के पूर्ववर्ती नियोक्ताओं द्वारा जारी और बाद में उनके द्वारा प्रस्तुत दिनांक 14.01.2015 और 18.07.2016 के अनुभव प्रमाणपत्रों पर एफसीआई द्वारा संदेह नहीं किया गया था। केवल इसलिए कि ये प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए थे, उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता था क्योंकि विज्ञापन के तहत जो आवश्यक था वह अनुवाद में एक वर्ष का अनुभव था, खासकर जब इन प्रमाणपत्रों पर एफसीआई द्वारा संदेह नहीं किया गया था।

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 30)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

भारतीय खाद्य निगम के मामले (पूर्व) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 9, 10, 12 और 13 जो प्रासंगिक हैं, नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं: -

"9. विद्वान एकल न्यायाधीश ने मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर भरोसा करते हुए और/या उस पर विचार करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि उक्त पत्र से, यह नहीं कहा जा सकता है कि मूल रिट याचिकाकर्ता के पास अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का एक वर्ष का अनुभव था। जो एक योग्य उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक आवश्यकता थी। हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने मूल रिट याचिकाकर्ता के पूर्ववर्ती नियोक्ता द्वारा जारी दिनांक 14.01.2015 और 18.07.2016 के प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया। यदि उपरोक्त दो प्रमाणपत्रों पर विचार किया जाता है, तो उस स्थिति में, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि मूल रिट याचिकाकर्ता को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का एक वर्ष का अनुभव था और इसलिए सभी आवश्यक मांग / पात्रता मानदंडों को पूरा करता था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, और यह उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एफसीआई की ओर से दायर जवाबी हलफनामे से

देखा जा सकता है, एफसीआई ने उपरोक्त दो प्रमाणपत्रों पर संदेह नहीं किया है। उनका एकमात्र तर्क यह प्रतीत होता है कि चूंकि मूल रिट याचिकाकर्ता ने आवेदन के साथ या दस्तावेजों के सत्यापन के समय अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के एक वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए उपरोक्त प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकता है और इसलिए उन प्रमाणपत्रों और / या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में एक वर्ष का अनुभव होने के किसी भी प्रमाण पत्र के अभाव में। जो आवश्यक मांग थी, मूल रिट याचिकाकर्ता को एक वर्ष का अनुभव होने की पात्रता मानदंड/आवश्यक मांग को पूरा करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

10. जहां तक एफसीआई की ओर से मामला है कि चूंकि मूल रिट याचिकाकर्ता ने आवेदन के साथ एक वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विज्ञापन में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। विज्ञापन में जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि एक उम्मीदवार को अन्य योग्यताओं के साथ अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 32)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

विज्ञापन विशेष रूप से और / या प्रदान नहीं करता है कि एक उम्मीदवार आवेदन के साथ अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। इसलिए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सही कहा है कि आवेदन के साथ एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना मूल रिट याचिकाकर्ता के मामले के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है और उस आधार पर मूल रिट याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था, यदि वह मेधावी पाई जाती है। हम उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

XXX xxx xxx xxx

12. विज्ञापन का खंड 33, जिस पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा भी विचार किया जाता है, में प्रावधान है कि प्रबंधन आवेदक की शैक्षिक योग्यता और अनुभव के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है। जैसा कि रिकॉर्ड से पाया गया है और यहां तक कि डिवीज़न बेंच द्वारा देखा गया है,

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 33)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रबंधन ने आवेदक को अपने अनुभव के समर्थन में कोई अतिरिक्त दस्तावेजी सबूत पेश करने के लिए बुलाना उचित नहीं समझा। प्रबंधन आवेदक के अनुभव के समर्थन में कोई अतिरिक्त दस्तावेजी सबूत मांग सकता था। यदि प्रबंधन ने आवेदक के अनुभव के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य मांगे होंगे, तो उस स्थिति में, मूल रिट याचिकाकर्ता ने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए होंगे, जिन्हें बाद में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एफसीआई ने मूल रिट याचिकाकर्ता के पूर्ववर्ती नियोक्ता द्वारा जारी दिनांक 14.01.2015 और 18.07.2016 के प्रमाण पत्रों पर संदेह नहीं किया है। इसलिए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उपरोक्त दो प्रमाणपत्रों पर विचार करते हुए सही कहा है कि मूल रिट याचिकाकर्ता को अंग्रेजी से हिंदी और इसके विपरीत अनुवाद का एक वर्ष का अनुभव था और इसलिए वह सभी अपेक्षित आवश्यक आवश्यकताओं / योग्यताओं को पूरा करती थी और इसलिए उसे योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाना आवश्यक था।

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 34)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

13. अब जहां तक एफसीआई की ओर से यह निवेदन है कि उम्मीदवार को यह दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए और/या करना चाहिए था। आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण पत्र का संबंध है, इस स्तर पर, चार्ल्स के. स्कारिया बनाम डॉ. सी. मैथ्यू (1980) 2 एससीसी 752 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय और डॉली छंदा बनाम अध्यक्ष जी और अन्य (2005) 9 एससीसी 779 के मामले में इस न्यायालय के बाद के निर्णय को संदर्भित किया जाना आवश्यक है। चार्ल्स के. स्कारिया (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय को आवश्यक मांग और प्रमाण के प्रमाण / मोड के बीच अंतर पर विचार करने का अवसर मिला। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय के पास एक तथ्य और उसके प्रमाण के बीच अंतर पर विचार करने का अवसर था। इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त मामले में, एक उम्मीदवार / छात्र डिप्लोमा धारकों के लिए अतिरिक्त 10% अंकों का हकदार था और डिप्लोमा आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले प्राप्त किया जाना चाहिए, बाद में नहीं। उपरोक्त मामले में, एक उम्मीदवार ने आवेदन की अंतिम तिथि से पहले डिप्लोमा हासिल किया, लेकिन आवेदन के साथ डिप्लोमा का सबूत पेश नहीं किया। इसलिए, उसे अतिरिक्त 10% अंकों की अनुमति नहीं दी गई थी और इसलिए प्रवेश

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 35)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

से इनकार कर दिया गया था। ऐसी स्थिति से निपटते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि आवश्यक आवश्यकता यह थी कि एक उम्मीदवार को आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले डिप्लोमा प्राप्त करना चाहिए, लेकिन बाद में नहीं, और यह प्राथमिक आवश्यकता है और यह प्रमाण प्रस्तुत करना कि आवश्यक मांग के अनुसार किसी विशेष तिथि को या उससे पहले डिप्लोमा प्राप्त किया गया है, यह माध्यमिक है। इस अदालत ने विशेष रूप से कहा कि "जो आवश्यक है वह दी गई तारीख से पहले डिप्लोमा का अधिकार है; जो सहायक है वह योग्यता के प्रमाण का सुरक्षित तरीका है"। इस अदालत ने विशेष रूप से कहा कि "एक तथ्य और उसके सबूत के बीच भ्रमित करना धुंधली विकृति है।

(21) उपरोक्त चर्चा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, आयोग द्वारा याचिकाकर्ता को सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने के लिए 02 अंकों से इनकार करना अन्यायपूर्ण और इस प्रकार अस्थिर पाया जाता है। नतीजतन, याचिकाकर्ता को इन 02 अंकों के अनुदान का हकदार माना जाता है। चूंकि इन अंकों

को जोड़ने के बाद उसका स्कोर 65.35 अंक हो जाएगा जो 63.55 अंकों से अधिक है जो उस श्रेणी में चयनित और नियुक्त अंतिम व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए हैं, जिसके तहत याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया था, याचिकाकर्ता द्वारा अन्य सभी निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन, उत्तरदाताओं को हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

हालांकि, याचिकाकर्ता की नियुक्ति काल्पनिक रूप से उस तारीख से संबंधित होगी जब विचाराधीन चयन में उससे कम योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर वह अपनी काल्पनिक तारीख से लेकर वास्तविक नियुक्ति की तारीख तक किसी भी वेतन के हकदार नहीं होंगे।

(22) उपरोक्त शर्तों में याचिका की अनुमति दी जाती है।

(23) कोई लागत नहीं।

दीपक सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल) (पृष्ठ 37)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता महाजन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा